अंक ४७

नई दिल्ली, जनवरी २०१४

[निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'पुलिसिंग केवल एक नौकरी नहीं बल्कि समाजसेवा का अवसर भी है'

श्रीमती मारूती जोशी

श्रीमती मारूती जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक (आर.पी.एस.), मुख्य सुरक्षा अधिकारी राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण, जयपुर से, पुलिसिंग में महिला पुलिस अधिकारी के रूप में उनके विशिष्ट अनुभवों और सुझावों के बारे में ज़ीनत मलिक द्वारा ई–मेल से लिए गये साक्षात्कार को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

सर्वप्रथम अपने कार्यकाल के अंतराल में विभिन्न दायित्वों के बारे में बतायें। और, इन दायित्वों के निर्वाह में आपको व्यक्तिगत रूप से कौन सा कार्य सबसे अधिक संतुष्टि प्रदान करता है तो क्यों?

वर्ष १९९७ से अब तक, लगभग सोलह वर्षों के राजस्थान पुलिस के लम्बे कार्यकाल में मैंने विभिन्न उत्तरदायित्वों का निर्वाहन किया है। अपने बैच की इकलौती महिला पुलिस अधिकारी होने तथा राजस्थान पुलिस कैडर में लगभग बीस वर्ष पश्चात् एक महिला पुलिस अधिकारी होने का गौरव अपने आप में बहुत महती सम्भावनाओं से परिपूर्ण था। उस एकत्व में एक नयापन, एक नवाचार था जो आने वाले भविष्य में आधारभूत परिवर्तन को इंगित करता था। बैच में मेरे इकलौते होने के कारण, महिलाओं की पुलिस में अधिकारी स्तर पर शून्यता के बारे में कई सवाल उठाये तथा समयानुसार महिलाओं के लिए पुलिस सेवा में आरक्षण भी प्रारम्भ हुआ। आज रा.पु.से. में ४६ महिला पुलिस अधिकारी हैं।

मैंने पुलिस में आने के पश्चात् सुपरवाईज़री अधिकारी के रूप में कार्य किया जिसमें अपराध नियंत्रण, गम्भीर अपराधों का अनुसंधान व महिलाओं के प्रति गम्भीर अपराधों पर नियन्त्रण व उनके उन्मूलन पर विशेष रूप से कार्य किया। व्यक्तिगत रूप से मुझे VAW (Violence against women & children) के क्षेत्र में कार्य करने में सबसे अधिक संतुष्टि मिली। महिला अधिकारी के रूप में मेरे कर्तव्य के निर्वहन से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से पीड़ित महिलाओं को जो सम्बल मिलता था वह मेरे लिए बहुत संतुष्टिदायक था।

आप संयुक्त राष्ट्र के मिशन पर भी भेजी गई थीं। कृपया वहां आपकी भूमिका और अनुभव तथा उसके महत्वों पर प्रकाश डालें।

मुझे संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) के दक्षिण सुडान में शान्ति मिशन UNMISS में UN Police Adviser के रूप में लगभग एक वर्ष कार्य करने का मौका मिला। मध्य अफ्रिका के उस छोटे से देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का गौरव मेरे पुलिसिंग कार्यकाल का एक अहम हिस्सा है। UN Police Adviser के रूप में मेरी भूमिका Mission mandate को implement करने की थी, जिसमें स्थानीय पुलिस के साथ Co-location करके उन्हें democratic policing के बारे में प्रशिक्षित करने की थी। मिशन के दौरान मैंने लगभग ३८ देशों की पुलिस के साथ एक संगठित टीम के रूप में कार्य किया तथा Deputy State Adviser के रूप में अपनी टीम का नेतृत्व भी किया। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा के Police Commissioner के साथ मिलकर SSNPS (South Sudan National Police Service) की पुलिसिंग दक्षता के उन्नयन का कार्य किया। मैंने संयुक्त राष्ट्र की महिला पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर UNPOL Women's Network की स्थापना की जिसका उद्धेश्य महिला पुलिस अधिकारियों के उत्थान व उन्नयन के लिए कार्य करना था। कुछ समय पश्चात् हमारे नेटवर्क ने स्थानीय पुलिस (SSNPS) की महिला पुलिस अधिकारियों के साथ भी कार्य किया।

मेरे मिशन के अनुभव में सबसे महत्वपूर्ण है– अपनी आपसी भिन्नताओं जैसे कि : सामाजिक, सांस्कृतिक, नस्ली, भाषा संबंधित, आदि को भुलाकर एकरसता व एकजुटता से एक टीम में कार्य करना। जब मिशन में भिन्न–भिन्न देशों की पुलिस के साथ एक हो कर कार्य कर सकते हैं तो हम अपने देश में जाति–धर्म आदि भिन्नताओं का क्यों विचार करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अनुभव था– एक वास्तविक प्रजातांत्रिक पुलिस व्यववस्था की स्थापना जिसमें "orderly/peon" की नगण्यता होना, अपने कार्य स्वयं करना की कर्मठता, अपना सामान स्वयं उठाना, स्वंय ड्राईविंग करना, ऑफिस में कोई orderly/peon ना होना, से आत्मनिर्भरता का एक liberating अनुभव हुआ तथा यहां की ''अफसर'' होनी की खोखली मानसिकता से भी पीछा छूटा।

आपके विचार में पुलिस बल में कांस्टेबल–अधिक्षक स्तर तक की महिलाओं की क्या समस्या हैं और इनका निवारण कहां से हो सकता है और क्या सुधार किया जा सकता है?

मेरे विचार से महिलाओं की समस्या उनके मुख्यधारा में नहीं रह पाने की है। अपने घरेलू कर्तव्यों जैसे मातृत्व के दायित्व जो कि एक नैसर्गिक उपहार है, को निभाते हुए अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने की दोहरी भूमिका में कभी–कभी वे मुख्यधारा से दूर हो जाती हैं। ऐसे में उन्हें विभाग द्वारा विकल्प दिए जाने चाहिए तथा उनकी क्षमताओं का अन्यत्र उपयोग करके उन्हें सम्मिलित रखना चाहिए।

क्या वर्तमान समय में महिलाओं को बल में लाने के लिए उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए? महिलाओं की उपस्थिति को बल में बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए?

जी हाँ, महिलाओं को पुलिस बल में लाने के लिए उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह एक सकारात्मक कदम, परिपूर्ण पहल है। उन्हें पुलिस में कार्य करने के लिए प्रेरित करने व महिलाओं को पुलिस बल के प्रति आकर्षित करने के लिए पुलिस में उन्हें पदोन्नतियों में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य संगठनात्मक, सहायक सुविधाएं, जैसे क्रेच सुविधा, (जिला स्तर पर), परिवार के साथ पदस्थापन की सुविधा flexible working hours आदि महत्वपूर्ण है। पुलिस बल में महिला अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति समय की आवश्यकता है तथा जनतांत्रिक पुलिस का आधार है। अतः इसे बढ़ावा देना आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यन्त आवश्यक है।

क्या महिला पुलिस अधिकारियों को उनके वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कार्यभार देते समय उनकी व्यवासायिक क्षमता को पुरूषों से कम आंकने का चलन है? महिलाएं किस प्रकार अपनी क्षमता का विश्वास अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दिला सकती हैं?

नहीं ऐसा चलन तो नहीं है अपितु महिला पुलिस अधिकारी को "soft posting" देने का प्रचलन अवश्य है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की उतनी भूमिका, नहीं जितनी प्रचलित व्यवस्थाओं, तथा उनमें महिला अधिकारियों की स्वंय की choice अवश्य रहती है। इसे बदलने में महिला अधिकारी/कर्मचारी को स्वंय आगे आना होगा तथा स्वंय अपने आपको सीमित न करते हुए अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके समान भूमिका की मांग करनी होगी। इससे पुलिस बल ही नहीं अपितु समाज भी लाभान्वित होगा।

क्या महिला होने के कारण जनता की ओर से कोई नकारात्मक व्यवहार या अविश्वास का अनुभव हुआ है?

नहीं, अपितु समाज की ओर से बहुत अधिक सम्बल, मिला है। समाज का पीड़ित वर्ग जो पुलिस के पास आता है, के सामने महिला अधिकारी/कर्मचारी का होना एक विश्वास पैदा करता है वहीं दूसरी ओर अपराधी व असामाजिक तत्वों में डर व घबराहट पैदा करता है।

उपरोक्त के अलावा, क्या ऐसी कोई भी पुलिसिंग सम्बन्धी सूचना या विचार है जो आप *लोक पुलिस* पत्रिका के माध्यम से थाना स्तर के कर्मचारियों को मार्गदर्शन के लिए कहना चाहेंगी?

जी हाँ। अभी हाल में बच्चों के प्रति यौन हिंसा व उत्पीड़न से रोकने के POCSO-Act बनाया गया है तथा सभी राज्यों की पुलिस ने उस पर समकक्ष परिपत्र जारी किये होगें। मेरा मानना है कि हर पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को इसकी जागरुकता होनी चाहिए। तथा इस एक्ट की मंशा के अनुसार बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में पुलिस को संवेदना, समझदारी, व त्वरितता से कार्य करना चाहिए।

मेरी नजर में 'पुलिसिंग' एक "सभ्य ड्यूटी" है, मेडिकल पेशे की तरह। जैसे एक डॉक्टर पीड़ित का इलाज कर उसे राहत पहुँचाता है वैसे ही एक पुलिस अधिकारी पीड़ित को जान/माल की सुरक्षा प्रदान करता है। एक पुलिस अधिकारी को समाज द्वारा एक महती जिम्मेदारी दी गई है जो उसे पूरी संवेदना व पूर्ण निष्ठा से निभानी चाहिए। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं 'समाज–सेवा' का एक अवसर है जो हमें नहीं गंवाना चाहिए।

और अन्त में, मैं सभी पुरुष अधिकारियों से कहना चाहुँगी कि वे अपनी महिला सहकर्मियों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करें जिससे उनके संगठन में एक स्वस्थ camaraderie (सौहार्द) की भावना विकसित हो सके।

बूझो और जीतो–२५

प्रिय पाठकों,

लोक पुलिस की ओर से आप सब को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

इस अंक से, हम विशेष आपराधिक कानूनों से अधिक से अधिक संख्या में प्रश्नों का समावेश प्रारम्भ कर रहे हैं। ऐसा इसलिए करना आवश्यक समझा गया है क्योंकि मूल आपराधिक कानूनों में से गत दो वर्षों से प्रश्न लिए जाते रहे है। इसलिए, अब विशेष कानूनों के ज्ञान की परख की जानी चाहिए।

हांलाकि, इस बार भी पहले की ही तरह आपसे केवल ५ प्रश्न पूछे जाएंगे और पांचों के सही उत्तर मिलने पर लकी ड्रा से विजेताओं का नाम निकाला जाएगा। यदि किसी के ५ से कम प्रश्नों के उत्तर सही हों तब उसे विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। इस कारण ऐसा सम्भव है कि किसी अंक में कोई भी विजेता न हो।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रूपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं :–

१. किसी व्यक्ति को पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश की आज्ञा न देने पर क्या कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है? क्या यह कोई अपराध है?

२. क्या सरकारी स्कूलों में कथित रूप से अछूत बच्चों को अलग बेंच पर बिठाने के लिए अध्यापक के विरूद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है?

३. अगर अस्पताल का कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति का इलाज अछूत होने के कारण करने से मना कर दे, उसे क्या और किस प्रावधान के अंतर्गत दण्ड दिया जा सकता है?

४. किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती गंद और कूड़ा उठवाने के विरूद्ध क्या वह पुलिस में शिकायत कर सकता है? सम्बन्धित प्रावधान में क्या कहा गया है?

५. किसी गांव के निम्न समझे जाने वाले समुदाय के सदस्य को ताज़ी सब्ज़ियां न बेचने पर क्या विक्रेता के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है?

बूझो और जीतो – २२ का परिणाम

अक्टुबर २०१३ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं :–

१. हां, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम २०१२ की धारा २६ (४) के अनुसार जहां सम्भव हो पुलिस को बच्चे का बयान दर्ज करते समय उसे रिकॉर्ड भी करना चाहिए।

२. नहीं, भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७६ ख के अंतर्गत अलगाव के दौरान पत्नी के साथ बलात्कार करने पर पत्नी की इच्छा के बगैर उसके माता पिता एफ.आई.आर. नहीं दर्ज करा सकते हैं। केवल पत्नी को ही एफ.आई.आर. दर्ज कराने का अधिकार है।

३. यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम २०१२ की धारा १२ के अनुसार बाल यौन उत्पीड़न के दोषी को ३ वर्षों तक के कारावास और जुर्माना चुकाने का दण्ड दिया जा सकता है।

४. हां, भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३५४ग के अंतर्गत दर्शनरति एक जमानती अपराध है इसलिए इसके आरोपी को पहली बार अपराध करने पर पुलिस ज़मानत दे सकती है।

५. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ४८२ के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्राप्त निहित शक्तियों का उपयोग, एफ.आई.आर. रद्द करने के लिए आवेदन किया जाता है और विशिष्ट परिस्थितियों में केवल उच्च न्यायालय को ही ऐसा करने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय ऐसा नहीं कर सकती हैं।

विजेता

१. संजय जायसवाल, सब–इंस्पेक्टर, थाना–बलदेवगढ़, ज़िला–तिकमगढ़, म.प्र.

नोटः विजेता को पुरस्कार की राशी शीघ्र ही भेज दी जाएगी।

अपने पत्र हमें निम्न पते पर भेजें या ईमेल करें–

ज़ीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, ***लोक पुलिस***
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१-०११-४३१८०२००, ४३१८०२२५-२९९
फैक्स : +९१-०११-२६८९४६८८
ई-मेल : zeenatmalick@gmail.com
वेबसाइट : http//www.humanrightsinitiative.org

किनारे पर ज़िंदगी : पुलिस के साथ कुछ पल

पर्दे की ज़िंदगी में पुलिस हमेशा हीरो होते हैं। फिल्मों, हास्यप्रद किताबों और म्यूज़िक वीडियो में पुलिस को कड़े, अच्छी बनावट वाले महिला और पुरूषों के रूप में दिखाया जाता है जो गुंडों से लड़ते हैं, लूटमार करने वाली भीड़ को नियंत्रित करते हैं और हमेशा खलनायक को हराते हैं।

अफ़सोस की बात है कि वास्तविकता, बहुत अलग है।

दिसंबर २०१३ के प्रथम सप्ताह में ३६ वर्षीय श्रुति चौपड़ेकर, मुंबई रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल, रेलवे पुल पर अचानक गिर पड़ी और हृदय गति बंद होने के कारण ड्यूटी पर ही उनकी मृत्यू हो गई।

वह १६ वर्षों से १२-१६ घंटे की शिफ़्ट में काम कर रही थी, जिसमें कोई निश्चित साप्ताहिक अवकाश नहीं था। उन्हें उच्च रक्त चाप और दिल की समस्या विकसित हो गई थी।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्योरो के आँकड़े दर्शाते हैं कि देश भर में, अधिकांश पुलिसकर्मी जिनकी मृत्यू बल में सेवा के दौरान होती है, वह प्राकृतिक कारणों से होती है। ड्यूटी के समय किसी गोली या दुर्घटना के कारण नहीं बल्कि आत्म हत्या या दिल का दौरा पड़ने के कारण।

पिछले वर्ष, उदाहरण के तौर पर, पूरे भारत में १६१६ पुलिसकर्मियों की मृत्यू ड्यूटी के दौरान या दुर्घटनाओं में हुई। इसके विपरीत, २०१२ में ४,५५४ जैसी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मृत्यू हुई जिसमें २७२४ मृत्यू प्राकृतिक कारणों से हुई। दिल का दौरा पड़ना एक बहुत बड़ा कारण था, शेष २१४ आत्म हत्या के केस थे।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, चिंता और विषाद बल में आम है, और उतना ही अधिक है जितना तीव्र रक्त चाप की संख्या। आप किसी भी थाने में चले जाएं आपको अनेकों कहानियां सुनने को मिल जाएंगी कि ऐसा क्यों है।

उदाहरण के तौर पर मुंबई के ग्रांट रोड डी.बी. मार्ग थाने के महिला और पुरूष पुलिसकर्मी सप्ताह में ६ दिन १२ घंटे काम करते हैं। लेकिन, विशेष अवसरों जैसे त्यौहार, वी.आई.पी. वीक्षण या आतंकवाद चेतावनी में यह समय–सीमा अनिश्चित अवधि के लिए बढ़ जाती है – ६ दिन ७ दिन हो जाते है।

थाने के एक कांस्टेबल ने बताया, यह स्पेशल ड्यूटी हर सप्ताह होती है। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के आँकड़े के अनुसार देश भर में १५.८५ लाख पुलिसकर्मी मौजूद हैं जबकि अनुमोदित पद २१.२४ लाख हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि मलिन कार्य–स्थिति और लंबे तथा दबावपूर्ण कार्य अवधि से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बेचैनी उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति दबाव में हो, शरीर में ऐसे हारमोन्स बनते हैं जो हृदय गति, रक्त चाप और शरीर में चीनी के स्तर को बढ़ा देते हैं। अगर दबाव लगातार जारी रहता है, यह हारमोन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, पाचन और प्रजनन प्रणाली का नुकसान करता है जो व्यक्ति के व्यवहार और स्वभाव को प्रभावित करता है।

टाटा इंस्टटूट ऑफ सोशल साइंसेज़, मुंबई के सेंटर फॉर क्रिमनॉलोजी एण्ड जस्टिस के प्रमुख और प्रोफसर विजय राघवन कहते हैं, "अपराध दर बढ़ने और नये कानूनों के पास होने के कारण, बल से अपेक्षाएं बढ़ती रहती हैं। लेकिन, तद्नुसार उनके वेतन और कार्य स्थिति में कोई सुधार नहीं किया जाता है।"

राघवन का यह भी मानना है कि भारत में जब नये कानून पास किये जाते हैं तब यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके कार्यान्वयन के लिए उचित संसाधन उपलब्ध है या नहीं पर्याप्त। वह कहते हैं, 'न्यायिक लेखा परीक्षण' नहीं किया जाता है। "वर्तमान में सबकुछ पुलिस पर ढ़केल दिया जाता है हांलाकि उनके पास इसे सम्भालने के लिए जनबल न हो तब भी।"

पुलिस बल द्वारा अक्षमता का सामना करने का सबसे बड़ा कारण शायद कम कर्मचारियों की नियुक्ति है, जो आगे उससे भी बढ़ जाती है जैसे उपलब्ध कर्मचारियों से काम करवाया जाता है। उदाहरण के तौर पर, पुलिस बल के एक बड़े भाग का उपयोग वी.आई.पी. सुरक्षा में हो जाता है। पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी और वकील वाई.पी. सिंह कहते हैं "अकसर आरक्षकों के काम का विभाजन एक नामावली के आधार पर जूनियर अधिकारियों के द्वारा किया जाता है जो अपने पुलिसकर्मियों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य सम्बन्धी चिंताओं के प्रति असंवेदनशील होते हैं।"

जिनकी स्वास्थ्य की स्थिति संवेदनशील होती है प्रायः उनका पता नहीं लग पाता है। सामूहिक रूप से वह बल में हतोत्साहित और अलाभकारी होते हैं।

राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मनोरोग विभाग की प्रमुख डा. स्मिता देशपांडे के अनुसार "अगर कार्य–संतुष्टि कम होती है तो कुंठा पैदा होती है जिससे व्यक्ति गुस्सैल, कठोर और चिढ़ा हुआ सा हो जाता है। कोई भी पूरी तरह से दबाव से बच नहीं।"

सकता लेकिन जिनके पास साकारात्मक मज़बूती नहीं है उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।"

वर्तमान परिस्थिति में जहां पुलिसबल में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना इन बीमारी का सबसे स्पष्ट ईलाज है, कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कार्य–स्थिति को बेहतर बनाने के और भी तरीके हैं।

पूर्व पुलिस महानिदेशक, जेकब पुन्नुस ने बताया, "केरल में आठ घंटों के शिफ़्ट की सफ़लतापूर्वक शुरूआत की गई है। समय का उचित उपयोग करने के लिए सभी आरक्षकों को मोबाईल फोन दिये गये हैं और थानों को डिजिटल कर दिया गया है।"

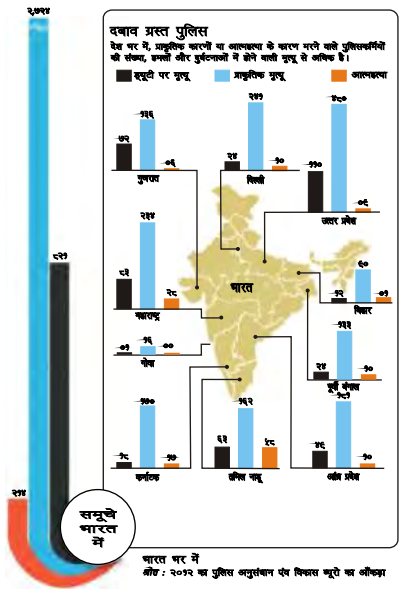

पुलिस की अनिश्चित और इस कारण अमानवीय कार्य स्थिति का खामियाज़ा कई पुलिसकर्मियों को व्यक्तिगत और पारिवारिक नुकसान से भरना पड़ता है।

अमरीश सिंघल, ५०, हेड कांस्टेबल, २६ वर्षों से दिल्ली पुलिस में कार्यरत बताते हैं,

"मुझे लगातार तीन शादी की सालगिरह वाले दिन छापा मारने की ड्यूटी पर भेजा गया – मेरी पहली तीन सालगिरह थीं।" पुलिस में जाना हमेशा से उनका सपना था लेकिन इसे पाने के लिए ऊँची क़ीमत चुकानी पड़ी। वह कहते हैं,"शुरूआत में, कई वर्षों तक पत्नी समझती है, लेकिन कोई भी शादी एक पार्टनर के साथ कितने दिनों तक चल सकती है?"

यद्यपि उनकी पत्नी ने उन्हें उनके एक बच्चे के साथ अपने काम और बच्चे को सम्भालने के लिए छोड़ दिया। दो दशकों से अधिक हो गये और अब अस्वास्थ्यकर जीवनशैली के कारण वह आर्थराईटिस, डायब्टिज और हाईपरटेंशन के रोगी हैं। उनका एकलौता बेटा गलत संगति में पड़ चुका है और उसका कारण वह पिता की छवि की कमी को बताते हैं। वह कहते हैं" मैं कभी भी उसके लिए मौजूद नहीं होता था। मैं अपराधों को रोकने में इतना व्यस्त था कि मैंने अपने बेटे को वह सब बन जाने दिया जिससे मैं उसे हमेशा बचा कर रखना चाहता था।"

प्रियंका राय, २८ वर्ष, पुलिस सब–इंस्पेक्टर, कोलकाता – जब ४ वर्ष पहले वह बल में सम्मिलित हुई थी, वह स्वास्थ्य की तस्वीर थी। लेकिन, ११ घंटों के काम और भोजन के अनिश्चित समय तथा बगैर छुट्टी के सप्ताह के कारण उनका स्वास्थ बिगड़ने लगा।

पिछले वर्ष उन्हें ७ दिनों के लिए लीवर की बीमारी और चिंता के कारणों से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था जहां दबाव से उत्पन्न नुरलाजिकल बीमारियों के बारे में भी पता लगा। राय कहती हैं, "मैंने काम पर वापस आकर अपने डॉक्टरों की चिट्ठी जमा की जिसमें और कुछ समय के लिए अधिक नियमित कार्य–अवधि की सलाह दी गई थी। मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अगर मैंने ऐसी मांग की तब मैं अपनी नौकरी खो सकती हुँ या मुझे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।" अपनी विषम कार्य अवधि के दबावों के बीच राय दोबारा बीमार हो गई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों के विरूद्ध १५ दिनों का अवेतनीय अवकाश लिया। जब वह काम पर लौटी तब उन्हें लिखित चेतावनी का दण्ड दिया गया जिसे उसके सर्विस रिकॉर्ड में डाल दिया गया। कई सब–इंस्पेक्टरों का यही भाग्य है।

राय कहती हैं, "हमें हमेशा महीने में केवल एक छुट्टी मिलती है। और अगर उसके बाद आप इसमें सुधार चाहते हैं, आपसे बदला लिया जाता है"

जहां हम पुलिस बल में उनकी संख्या में बढ़ोतरी करके पुलिसकर्मियों को मानवीय कार्य–अवधि दे सकते हैं वहीं उससे पहले क्यों न सरकारें पहले से कार्यरत पुलिसकर्मियों को ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएं जिससे उनके काम में सरलता आए जैसे कि मोबाईल फ़ोन देना और थानों को डिजिटल करना, कुछ सेवाओं को आउटसोर्स करना सम्मिलित है। अगर देश के एक राज्य में पुलिस के उच्चाधिरियों और राजनैतिक ईच्छाशक्ति के कारण उनकी कार्य–स्थिति को सरल बनाया गया है, उसे मॉडल मानकर अन्य राज्य क्यों अपने यहां इसे कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं?

(सौजन्य : हिन्दुस्तान टाईम्स ८ दिसंबर २०१३)

– प्रस्तुतिः ज़ीनत मलिक

क्या आप जानते हैं?

इस श्रृंखला के अंतर्गत वर्तमान अंक में हम पुलिसिंग के एक ऐसे सिद्धांत को आपके ज्ञान और सूचना के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे वर्तमान पुलिसिंग की आवश्यकताओं को देखते हुए विश्व भर में अपनाया जा सकता है।

पीलियन पुलिसिंग का सिद्धांत

सर रॉबर्ट पील ग्रेट ब्रिटेन के एक समाज सुधारक थे जो अन्य पदों पर काम करने के अलावा गृह सचिव और बाद में प्रधान मंत्री भी बने। उन्हें आधुनिक पुलिसिंग का संस्थापक भी कहा जाता है। गृह सचिव के पद पर काम करते हुए पील ने ब्रिटिश आपराधिक कानूनों में महत्वपूर्ण सुधार किया। दण्ड संहिता में उनके बदलाव के कारण कम अपराधों में मृत्यू दण्ड का प्रावधान और बंदियों की शिक्षा का प्रावधान भी रखा गया।

पील ने १८२२ से जब वह गृह सचिव बने, व्यवासायिक पुलिसिंग पर काम करना प्रारम्भ किया। इंगलैंड में पील की मेट्रोपोलिटन पुलिस एक्ट १८२९ के अंतर्गत लंदन के लिए एक पूर्ण कालिक, व्यावसायिक और केन्द्र संगठित पुलिस की स्थापना ग्रेटर लंदन के लिए हुई। बल में आने वाले प्रत्येक पुलिस अधिकारी को सामान्य निर्देशों के अंतर्गत निम्नलिखित ९ सिद्धांतों को पालन के लिए दिया जाने लगा। यह पील द्वारा दिए गए विभिन्न भाषणों से संकलित किया गया माना जाता है।

इसे वर्तमान पुलिसिंग के लिए उपयुक्त मार्गदर्शक भी माना जाता है। कानून पालन कराने वाली कई एजेंसियों नें पीलियन के इन ९ सिद्धांतों को स्वंय अपना सिद्धांत बना लिया है। यह सिद्धांत हैं :–

१. अपराध और अव्यवस्था को रोकने के लिए, सैनिक बलों द्वारा दमन और कानूनी दण्ड की कठोरता के विकल्प के रूप में।

२. हमेशा यह मानने के लिए कि पुलिस की कार्य करने की शक्तियां और उसके दायित्व, जनता द्वारा उनके अस्तित्व, क्रिया, व्यवहार और लोक आदर कायम करने और संरक्षित करने की उनकी क्षमता की जन स्वीकृति पर निर्भर है।

३. इस बात को हमेशा स्वीकार करना कि जनता के आदर और स्वीकृति को संरक्षित करने का अर्थ है जनता का, कानून पालन के काम में स्वैच्छिक सहयोग को संरक्षित करना।

४. हमेशा स्वीकार करना कि जिस हद तक जनता की सहायता संरक्षित की जा सकती है उसी अनुपात में पुलिस उद्देश्यों को प्राप्त करने की अनिवार्यता के लिए शारीरिक बल प्रयोग की आवश्यकता में कमी आएगी।

५. जनता से सहयोग मांगना और उन्हें परिक्षित करना, जनमत की चापलुसी द्वारा नहीं बल्कि कानून के प्रति लगातार अपक्षपातपूर्ण सेवा के प्रदर्शन या नीतियों की संपूर्ण स्वतंत्रता द्वारा और व्यक्तिगत कानूनों के विषय के बारे में न्याय या अन्याय, जनता के सभी सदस्यों को बगैर उनकी सम्पत्ती और सामाजिक स्तर पर ध्यान दिए बगैर तत्कालीन और व्यक्तिगत सेवा और मित्रता प्रदान करके और शालीनता तथा तत्कालीन हास्यवृत्ति द्वारा और जीवन की सुरक्षा और उसे सम्भाल कर रखने के लिए व्यक्तिगत त्याग के लिए तैयार होकर किया जाता है।

६. शारीरिक बल का उपयोग तभी करें जब जन–सहयोग प्राप्त करने में अनुनय और चेतावनी का अभ्यास व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून के पालन के लिए या व्यवस्था बहाल करने की हद तक विफल हो जाए, और किसी विशेष अवसर पर आवश्यक पुलिसिंग उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केवल न्यूनतम डिग्री का शारीरिक बल प्रयोग करना।

७. हर समय जनता के साथ एक सम्बन्ध बनाए रखना जिसमें इस ऐतिहासिक प्रथा को वास्तविकता मिलती है कि पुलिस जनता है, और जनता पुलिस, केवल पुलिस ही जनता के ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें ऐसे दायित्वों पर पूर्णकालीन रूप से ध्यान देने के लिए वेतन दिया जाता है जो प्रत्येक नागरिक के सामुदायिक कल्याण और अस्तित्व के लिए पदधारी हैं।

८. हमेशा पुलिस–कार्यकारिणी कार्यों के प्रति पक्के लगाव को मान्यता देना, और व्यक्तियों या राज्य का प्रतिशोध के लिए, या अधिकारतः दोष पर निर्णय लेने या दोषी को दण्ड देने के लिए न्यायपालिका की शक्तियों का स्थान लेने के अहसास से भी बच कर रहना।

९. इस बात को मान्यता देना कि पुलिस की कार्यक्षमता का परीक्षण अपराध और अव्यवस्था की अनुपस्थिति है और उनसे निपटने के लिए पुलिस कार्यवाही का प्रत्यक्ष सबूत नहीं।

– प्रस्तुती : ज़ीनत मलिक

देहाती क्षेत्रों में पुलिसबल का मूल्यांकन–पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो की रिपोर्ट (भाग–२)

पिछले अंक से हम बी.पी.आर. एन्ड डी. द्वारा देहाती थानों में जनबल के मूल्यांकन की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसके परिणाम तक पहुंचने के लिए एक अध्ययन, आन्ध्र प्रदेश के वारंगल ज़िले में स्थित रघुनाथापल्ली थाने में किया गया है। आन्ध्र प्रदेश में एक देहाती थाना आम तौर पर १५-२० गांवों और ५०,००० जनसंख्या की देख–रेख करता है। रघुनाथापल्ली, जो एक देहाती थाना है इसकी आबादी ५२६४६ है।

किसी देहाती थाने में जनबल के मूल्यांकन के उद्देश्य से, देहात के थाने के कर्तव्यों को तीन श्रेणी में बांट सकते हैं:–

क) वैधानिक कर्तव्य,
ख) परिचालन कर्तव्य और
ग) अस्पष्टीकृत कर्तव्य

वैधानिक कर्तव्यों की चर्चा पिछले अंक में हो चुकी है।

परिचालन या ऑपरेशनल डयूटी के लिए कर्मचारी मानक

एक थाने की ऑपरेशनल डयूटी में केसों की जांच, अपराधों को रोकने का काम जैसे : बीट पर गश्त, शिकायतों/परेशानियों/आवेदनों को देखने के काम सम्मिलित होते हैं। इसलिए, निम्नलिखित पुलिस कार्यों के अनुसार कर्मचारियों की आवश्यकता होती है :

(क) जांच टीम (जो थाने में दर्ज केसों की संख्या पर निर्भर करेगी)

(ख) बीट गश्ती कर्मचारी (जो बीटों की संख्या, थाने के क्षेत्र, अपराध, जनसंख्या आदि पर निर्भर है।)

(ग) लोक शिकायत/आवेदन जांच कर्मचारी

प्रत्येक मुद्दे के लिए मानव संसाधन के मूल्यांकन को इस अध्ययन के अंतर्गत थाने में जांच होने वाले केसों की कुल संख्या, बीटों की संख्या और थाने द्वारा प्राप्त शिकायत व अन्य आवेदनों को जोड़ कर किया गया है।

जांच मानक

किसी आपराधिक केस की जांच करना एक कठिन काम है जिसमें समय और समूहकार्यों की आवश्यकता होती है। संपूर्ण जांच के लिए गवाहों का परीक्षण और उनके बयानों की सत्यता परखने के लिए पुनःपरीक्षण करने, अपराध स्थल को सम्भाल कर रखने, भौतिक साक्ष्यों को एकत्रित करने, उसे पैक करके परीक्षण के लिए भेजने, संदिग्धों पर नज़र रखने, प्रदर्शनियों को ज़ब्त करने, कई बार मृत शरीर को हटाने या पीड़ित को ईलाज या परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाने, एक या उससे अधिक आरोपियों को गिरफ़्तार करने, अपने और आस–पास/अन्य के थानों के पुलिस रिकॉर्ड की विस्तृत मन्त्रणा करने, विभिन्न शहरों/स्थानों में जांच करने की आवश्यकता होती है। बी.पी.आर. एन्ड डी. के मूल्यांकन से पता लगता है कि जांच टीम में एक सब–इंस्पेक्टर/एक असिस्टेंट सब–इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल सम्मिलित होने चाहिए। सब–इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल केस की जांच में शामिल होंगे जबकि और कांस्टेबल इसमें उनकी सहायता करेंगे। अगला मुद्दा इस बात के लिए मानक तय करना था कि एक टीम को कितने केसों की जांच करनी चाहिए। इस पर दो अलग–अलग दिशाओं से प्रवेश किया गया। पहली पद्धति के अंतर्गत विभिन्न ख्याति प्राप्त एजेंसियों जैसे कि–सी.बी.आई. और प्रवर्तन निदेशालय में प्रचलित मानकों को देखना और फिर रघुनाथापल्ली थाने की आवश्यकताओं का प्रक्षेपण करने की आवश्यकता शामिल है, दूसरी पद्धति है, किसी केस से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों में लगने वाले समय को मापें और फिर इसे वर्तमान अपराध के रिपोर्टों से मिलायें ताकि एक उचित मानक तैयार हो सके।

सी.बी.आई. में यह तरीका है कि किसी जांच अधिकारी को कोई नया केस तभी दिया जाता है जब उसने पहले केस की जांच समाप्त कर ली हो। आदर्शतः यही तरीका राज्यकीय पुलिस के साथ भी अपनाया जाना चाहिए लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है क्योंकि सी.बी.आई. अत्यंत कठिन और उलझे हुए केसों की जांच करती है, जो कभी कभी ज़िला पुलिस के पास होते हैं। दूसरी बात यह है कि सी.बी.आई. का अधिदेश सीमित है जबकि ज़िला पुलिस के मामले में स्थिति अलग हैं और यहां संसद और राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए सभी संज्ञय कानूनों को जांच करना अनिवार्य होता है। ऐसी परिस्थिति में, सी.बी.आई. के मानकों का उपयोग करना उचित नहीं होगा।

इसी प्रकार, प्रवर्तन निदेशालय में प्रचलित मानकों को जांचा गया और इसमें यह देखा गया कि एक जांच अधिकारी द्वारा औसतन साल में १४ केसों की जांच की जाती है। यहां भी, प्रवर्तन के केस बहुत जटिल और विशेष प्रकार के हैं और इस मानक को ज़िला पुलिस तक बढ़ाना जांच अधिकारियों की ज़रूरत को बढ़ाना है।

दूसरी पद्धति में, केसों के जांच में विभिन्न कार्यों को सुचीबद्ध करना और एक जांच अधिकारी को जांच में लगने वाले वास्तविक घंटों की संख्या को मापने की आवश्यकता को दर्शाता है। इसलिए, दो प्रकार के केसों में इस जोड़ का उपयोग किया गया–डकैती के साथ हत्या और सड़क दुर्घटना। दोनों केसों के लिए आवश्यक कार्यों को देखते हुए जो परिणाम आया उसके अनुसार यदि ३ अधिकारी ८ घंटे डकैती के साथ हत्या के केस पर काम करेंगे तब इसकी जांच में २४ दिन लगेंगे अर्थात एक वर्ष में १६ केस। उसी प्रकार सड़क दुर्घटना के केस पर यदि ३ अधिकारियों की एक टीम काम करेगी तब इसे हल करने में ४.६ दिन लगेंगे अर्थात एक टीम एक वर्ष में ७९ केसों को हल कर सकती है।

उपरोक्त परिणाम को जब एक वर्ष के लिए लागू करके देखा गया तब इससे ज्ञात हुआ कि अगर कोई टीम केवल ट्रैफिक दुर्घटना के केसों की जांच कर रही हो, वह एक वर्ष में ऐसे ७८ केसों को हल कर पाएगी। दूसरी ओर अगर कोई टीम डकैती के साथ हत्या के केसों को देख रही है तब यह एक वर्ष में केवल १६ केस ही देख पाएगी।

डपरोक्त उदाहरणों के अनुसार एक जांच टीम जिसमें १ ए.एस.आई./एस.आई, १ हेड कांस्टेबल और १ कांस्टेबल हो वह एक वर्ष में ४०-५० केसों की जांच कर पाएगी।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भ.द.सं. के अलावा विशेष आपराधिक कानूनों के अंतर्गत संज्ञय अपराधों को ध्यान में रखते हुए, एक जांच टीम १ वर्ष में ५० केसों को करने में सक्षम होगी। इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की रौशनी में जांच अधिकारियों के लिए नये स्वीकृत मानक होंगे :

टीम की क्षमता : १ सब इंस्पेक्टर., १ हेड कांस्टेबल और १ कांस्टेबल
जांच के केस : ५० भा.द.सं. प्रति वर्ष
गाड़ियां : २ मोटर बाईक ड्राईवर के बगैर (१ हल्की गाड़ी ८ घंटे के शिफ़्ट के ड्राईवर के साथ)

प्रत्येक जांच टीम का कार्यभार = भ.द.सं. के ५० जांच के केस + पहले जांच किये केसों की अदालत में पैरवी + विशेष कानूनों के अंतर्गत केसों की जांच

(नोटः अगले अंक में देहाती थाने के अन्य परिचालक कर्तव्यों तथा उल्लेखित कर्तव्यों में जनबल की आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया जाएगा)

– प्रस्तुति : ज़ीनत मलिक

आपके विचार

महोदया,

नमस्कार व नव वर्ष की शुभकामनाएं!

लोक पुलिस के नवंबर अंक को पढ़ने का अवसर मिला और इस अंक के बारे में यह कहना चाहता हुँ कि सॉफ़्ट 'स्किल–नेतृत्व क्षमता तथा टीम निर्माण भाग–२' लेख के अतंर्गत पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए संगठन बनाते समय इससे मार्गदर्शन लिया जा सकता है यह विशिष्ट केसों में अनुसंधान के लिए भी मार्गदर्शन लेने में उपयोगी है।

इस अंक में 'संज्ञय अपराधों में इंक्वायरी के बगैर एफ.आई.आर. दर्ज करना अनिवार्य' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित उच्चतम न्यायालय द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने पर नवीनतम दिशा–निर्देश बेहद उपयोगी हैं। हांलाकि, इन निर्देशों के पहले ही दण्ड प्रक्रिया संहिता में संज्ञय अपराधों से सम्बन्धित केसों में एफ.आई.आर. दर्ज कराने की अनिवार्यता के बारे में बतलाया गया है, यह निर्देश इस अनिवार्यता को केवल दोहराते हैं।

इस नवीन निर्देश को प्रकाशित करने के लिए विशेषरूप से धन्यवाद देना चाहुंगा।

निरीक्षक, जयपुर
सदस्य, राजस्थान पुलिस

संपादिका जी,

प्रणाम!

हमारे थाने में ***लोक पुलिस*** पत्रिका के दिसंबर अंक की प्रतीक्षा चल रही है जो इसके अंतिम सप्ताह तक हमें प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है अब इसके दर्शन नव–वर्ष में ही होंगे।

नवंबर महीने में प्रकाशित सभी लेख ज्ञानवर्धक और रोचक लगे। साक्षात्कार और उच्चतम न्यायालय के निर्देश विशेष रूप लाभकारी लगे। इसके अलावा, पुलिस समाचारों के अंतर्गत समाचारों का समावेश भी तत्कालीन और महत्वपूर्ण था।

नव वर्ष में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक लेखों के साथ पत्रिकाओं की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ!
हेड कांस्टेबल, रांची
सदस्य झारखंड पुलिस

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

पुलिस समाचार- हर कोने की हलचल

अगर सच्ची लगन हो, रास्ते मिल ही जाते हैं!

जब ट्रैफिक सब–इंस्पेक्टर आनंद कुमार ओझा, जो लखनऊ के शहीद पथ पर पेट्रौलिंग कर रहे थे उन्हें मालूम हुआ कि एक २२ वर्षीय यूवती को एक ऑटो रिक्शा में अग़वा किया जा रहा है, वह तुरंत उस गाड़ी का पीछा करने निकल पड़े और अपनी आधिकारिक बाईक से उस ऑटो तक पहुंच गए लेकिन आरोपी अगवा करने वाले भाग निकले। शाम तक ओझा और उनकी टीम ने भाग निकले ऑटो चालक और उसके साथियों को पकड़ लिया। यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वह ऐसे कई काम अपने पर्दे के जीवन में भी बार–बार करते हैं।

२००१ बैच के सब–इंस्पेक्टर, वर्तमान में लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस में तैनात, ओझा एक अभिनेता भी हैं। उनकी पहली भोजपूरी फ़िल्म इस सितंबर को रिलीज़ हुई थी।

३७ वर्षीय ओझा जिनका जूनून अभिनय था, कहते हैं – "इस प्रकार के दिन मुझे पुलिसकर्मी होने पर संतोष प्रदान करते हैं। कुछ दिनों पहले कुछ गांव वाले एक दुर्घटना में घायल हो गये थे और हम लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। एक अन्य दिन हमने चोरी की हुई एक कार की उगाही की। मैं हमेशा कोशिश करता हुँ कि ड्यूटी पर अपना शत प्रतिशत दूँ, शायद मेरी संरचनात्मक ईच्छा को संतुष्ट करने के कारण अन्यथा यह काम कई बार थकाने वाला लगने लगता है।" हांलाकि, उन्होंने कई नाटकों और लघु फ़िल्मों में अभिनय किया है, उनकी पहली फ़िल्म सबसे बड़ा मुजरिम सितंबर २०१३ में रिलीज़ हुई जिसमें वह तीन भाईयों की कहानी में से एक की भूमिका निभा रहे हैं जो मुख्य किरदार है।

यह आशा करते हुए कि एक दिन उन्हें हिन्दी फिल्म में भी अभिनय करने का अवसर मिलेगा, ओझा ने बताया कि, "वर्तमान में मेरे पास एक बंगाली फिल्म और कुछ भोजपूरी फिल्मों का प्रस्ताव है। लेकिन, मैं केवल उन्हीं फिल्मों का चयन करता हुँ जिनकी शूटिंग पुलिकर्मी के रूप में अपनी ड्यूटी निभाने में विघ्न के बग़ैर पूरी कर सकुँ।"

उन्होंने बताया कि अभिनय के प्रति उनके जूनून को देखते हुए उनके वरिष्ठ अधिकारी उन्हें शूटिंग के लिए छुट्टी दे देते हैं। २०१२ में लखनऊ ट्रैफिक पुलिस में सम्मिलित होने के पहले ओझा मुख्य मंत्री सुरक्षा बल का एक भाग थे।

ओझा, मूल रूप से बिहार में भोजपूर ज़िला के एक छोटे से गांव के निवासी हैं और १२वीं करने के बाद वह फिल्मों में आने के लिए मुंबई चले गये थे जहां एक वर्ष तक उन्होंने अभिनय की नौकरी ढुंढी और चौकीदारी की नौकरी की। एक वर्ष बाद उनके पिता उन्हें गांव वापस ले आए जहां से स्नातक पूरा किया और पुलिस भर्ती की तैयारी भी की। २००१ में उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन के बाद उनकी शादी भी हो गई और विभिन्न भूमिका करते रहे।

आज भी, उनमें इसकी ललक इतनी अधिक है कि पुलिस जैसी थकाने वाली नौकरी के बाद भी वह काम के बाद पोशाक बदल कर डांस सीखने जाते हैं। ओझा कहते हैं,"हांलाकि, पुलिस की नौकरी कठिन है लेकिन मैं अपनी मार्शल आर्ट और डांस क्लास में नियमित रूप से जाता हुँ।"

जिस प्रकार ओझा अपने शौक के प्रति गंभीर हैं, उसी प्रकार वह अपने पुलिस की ड्यूटी निभाने मे भी तत्पर हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इसी विशेषता के कारण पुलिस में कार्य की विषम परिस्थितियों के बावजूद वह अपने दोनों क्षेत्रों में कुशल और सफ़ल हैं।

नोट : यदि आपका भी कोई ऐसा शौक है तो हमें अवश्य बताएं।

(सौजन्य : इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, २५ दिसंबर २०१३)

उत्तर प्रदेश : ५९ दिनों के पुलिस महानिदेशक

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अखिलेश यादव ने रिज़वान अहमद को प्रदेश पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया है। रिज़वान १९७८ बैच के आई.पी.एस. अधिकारी हैं और केवल ५९ दिनों के लिए इस पद पर रहेंगे क्योंकि २८ फरवरी को वह सेवानिवृत हो जाएंगे।

श्री अहमद प्रदेश के दूसरे मुस्लिम पुलिस प्रमुख बन गए हैं, इससे पहले श्री ईस्लाम अहमद ने १९७१ में प्रदेश पुलिस प्रमुख का पद संभाला था। ध्यान देने की बात है कि प्रदेश में प्रमुख सचिव (जावेद उस्मानी) भी मुस्लिम हैं, जिसका अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश में दो सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी अल्पसंख्यक वर्ग से हैं।

अहमद जो इस नये पद को सम्भालने के पहले, डी.जी. रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.), उन्हें १९७७ बैच के चार आई.पी.एस. अधिकारियों के अधिकार पर अधिक्रमण करना पड़ा। ३१ दिसंबर देवराज नागर के सेवानिवृत होने के साथ ही, पुलिस के शीर्ष पद के लिए अहमद के नाम की चर्चा पुलिस समुदाय में हो रही थी।

पुलिस महानिदेशक के लिए प्रत्योगियों में डी.जी., पी.ए.सी. रंजन दिवेदी, १९७९ बैच के आई.पी.एस. अधिकारी, १९७९ के ही दूसरे अधिकारी ए.एल. बेनर्जी, निदेशक, विजलेंस और डी.जी., पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन, अरूण कुमार गुप्ता सम्मिलित थे।

श्री अहमद अगले डी.जी.पी. होंगे इस बात की सूचना सेवामुक्त होने वाले पुलिस प्रमुख देवराज नागर द्वारा आयोजित चाय पार्टी के दौरान दी गई। श्री नागर को दिन में आधिकारिक विदाई दे दी गई थी। इस चाय पार्टी में मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सचिव (गृह) अनिल कुमार गुप्ता भी मौजूद थे। नये पुलिस महानिदेशक ने ३१ दिसंबर २०१३ के ७ बजे शाम को कार्य–भार सम्भाला।

केवल ५९ दिनों के लिए किसी को पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त करने का केवल एक ही अर्थ लगाया जा सकता है, और वह यह कि सत्तारूढ़ पार्टी ऐसी नियुक्ति से अपने किसी राजनैतिक उद्देश्य को पूरा करना चाहती है, जो मुज़फ्फर नगर दंगों पर पुलिस की गलतियों पर पर्दा डालने जैसा है। हांलाकि, यह नियुक्ति न तो बल के लिए हितकारी है और न ही उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुकूल है, जिसने इस पद के लिए कम से कम २ वर्ष की नियुक्ति का निर्देश दिया था। बल के लिए यह इस प्रकार हितकारी नहीं है क्योंकि जिस बल के नेता को इतने कम समय के लिए काम सम्भालना है, उसके अपने आरम्भिक समय में दायित्वों के कार्यान्वयन को पूरा करने के साथ ही अपनी वापसी की तैयारी भी करनी पड़ेगी। न जाने कब बल को राजनैतिक स्वामित्व से स्वतंत्रता मिलेगी और सरकारों द्वारा जनता के हित में तार्किक निर्णय लिए जाएंगे।

(सौजन्य : द हिन्दु डॉट कॉम, २ जनवरी २०१४)

प्राधिकरण दोबारा गठित, नियुक्ति में प्रशासन की मनमानी

पिछले वर्ष ८ नवंबर को चंडीगढ़ में पुलिस शिकायत प्राधिकरण का पुनः गठन किया गया था और इसमें पूर्व केन्द्र शासित राज्य सलाहकार प्रदीप मेहरा, अध्यक्ष हैं, पूर्व डीजी.पी. प्रदीप कुमार और ज़ोया आर शर्मा इसके सदस्य हैं। तीनों नामों की यू.टी. प्रशासन के सलाहकार शिवराज वी. शर्मा द्वारा स्वीकृत दी गई थी।

यहां, यह उल्लेख करना बहुत आवश्यक है कि प्राधिकरण के पदाधिकारियों की नियुक्ति करते समय प्रशासन ने, प्रकाश सिंह के केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस विषय पर दिये गये निर्देशों की अनदेखी की है जिसमें कहा गया था कि "राज्य स्तरीय प्राधिकरण की अध्यक्षता उच्च या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष का चयन मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नामों के पैनल में से होना चाहिए।" जबकि, यू.टी. प्रशासन ने उच्च न्यायालय से नामों के पैनल की मांग ही नहीं की थी।

हांलाकि, गृह सचिव अनिल कुमार के अनुसार "पुलिस शिकायत प्राधिकरण को गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें भारत सरकार के किसी सेवानिवृत गृह सचिव को भी प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रावधान है।"

गत एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है जब से यू.टी. प्रशासन, पुलिस शिकायत प्राधिकरण के साथ सौतेला व्यवहार करता आ रहा है। कभी पूर्व प्राधिकरण के आदेशों के विरूद्ध उच्च न्यायालय चली जाती है, कभी प्राधिकरण के कार्य–अवधि समाप्त होने के बाद भी इसके गठन से कतराती है और अब किसी तरह पुनः गठन किया भी है, वह उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नहीं है। प्रशासन को यह समझने की आवश्यकता है कि प्राधिकरण को अपने विरूद्ध मजबूरी में गठित एक निकाय समझने से इसे कोई लाभ नहीं होने वाला है। प्रशासन को चाहिए कि पुलिस के गलत व्यवहारों के विरूद्ध इस निकाय को स्वंय अपनी अच्छी मंशा के प्रत्यक्षीकरण के रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत करे और निर्देशों के अनुसार इससे सम्बन्धित निर्णय ले और कार्यवाही करे। ऐसा करने से सरकार की छवि जनता में बेहतर होगी – उनके अधिकारों के रक्षक के रूप में भी और कानून की पालनहार सरकार के रूप में भी। यू.टी. में ही नहीं बल्कि प्रत्येक राज्य में सरकारें इन निकायों के गठन को अपने विरूद्ध खतरा मानने लगी हैं और यह डर निराधार है।

(सौजन्य : इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, ३ जनवरी २०१४)

तथ्य एंव आँकड़े

सी.एच.आर.आई. दक्षिणि ऐशिया के निम्नलिखित चार देशों में महिला पुलिस के बारे में एक अध्ययन कर रही है जिसमें विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की कठिनाईयों आदि के बारे में चर्चा की जाएगी और यथानुसार सम्बद्ध देशों के लिए सिफ़ारिशें भी की जाएंगी। इसकी रिपोर्ट २०१४ के मध्य में प्रकाशित होने की सम्भावना है। इन चारों देशों में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी इस प्रकार है।

देश	महिला पुलिस की संख्या	
बंगलादेश	६८९३	(५.६३%)
भारत	८४,४७९	(५.३३%)
मलेशिया	२८०	(९.३%)
पाकिस्तान	३७००	(०.९२५%)

प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी–११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली–११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org